एक नजर में

गांधी प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि

इंदौर . पहलगाम में हुए आतंकी हमले और देश की सुरक्षा में असफल रही मोदी सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया तथा मोमबत्ती जलाकर इस हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की .इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप मंत्री, जिला अध्यक्ष बटेश्वर सिंह, नगर अध्यक्ष राजेंद्र यादव,अजय यादव और समाजवादी युवजन सभा के नगर अध्यक्ष अमन यादव ने किया .गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी मैं आज पूरे प्रदेश में पहलगाम की घटना के विरोध में प्रदर्शन और मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया था जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के प्रदर्शन हुए करीब आधे घंटे तक गांधी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलकर विरोध प्रदर्शन किया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की . पार्टी का मानना है कि नरेंद्रमोदी सरकार कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में नाकामयाब रही है . प्रदर्शन कार्यों को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप मंत्री ने कहा कि कश्मीर जहां से धारा 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने देश को आश्वस्त किया था कि इस धारा के हटते ही कश्मीर में आतंक की घटनाएं खत्म हो जाएगी तथा आतंकवादी समूल नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उरी हमले के बाद लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और देश के आम नागरिकों की जान जा रही है . आज के प्रदर्शन में प्रमुख रूप से लल्लूभाई यादव, यूसूफ खान, रोहित यादव,हर्षित यादव,समर यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे .

खंडेलवाल प्रीमियम लीग में सेवा क्लब रहा विजेता

इंदौर . केपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विराट टर्फ कैफे एयरपोर्ट के सामने किया गया , क्रिकेट स्पर्धा मैं सेवा क्लब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया और डोमिनेटर टीम को खेलने का मौका दिया सेवा क्लब ने डोमिनेटर को 6 विकेट से पराजित कर अपने नाम किया . डोमिनेटर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर मैं 65 रनों पर सिमट गई . इस दौरान सेवा क्लब के चिराग खंडेलवाल ने 8 ओवर मैं 32 गेंद में 43 रनों की तूफानी पारी खेली . जिसमें उन्होंने 6 छक्के और सिंगल रन बनाए . इस दौरान मैन ऑफ दी सीरीज अक्षय खंडेलवाल, बेस्ट बॉलर यश चाचा, मैन ऑफ़ द मैच चिराग खंडेलवाल, बेस्ट फील्डर मयंक खंडेलवाल को दिया गया . इस दौरान विजेता टीम को पुरस्कार किया गया यह था टीम को 21000 रुपए साथ में ट्रॉफी प्रदान की गई . और उपविजेता टीम को 11000 रुपए नगद और साथ में ट्रॉफी दी गई . इस दौरान पुरस्कार वितरण में अशोक खंडेलवाल, धीरज खंडेलवाल, लवेश खंडेलवाल, दीपक खंडेलवाल, हरीश गुप्ता, विपिन मेथी, चेतन खंडेलवाल, एवं महिला इकाई अध्यक्ष भारतीय कासलीवाल एवं महिला के सचिव अंजू खंडेलवाल उपस्थित रहे .

इंदौर अस्थि रोग विशेषज्ञ संघ के नए पदाधिकारी घोषित

इंदौर . इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के इंदौर चैप्टर के वार्षिक चुनाव

निर्विरोध संपन्न हुए। इन चुनावों में, प्रतिष्ठित अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमंत मंडोवरा को अध्यक्ष तथा डॉ. अर्जुन जैन को मानद सचिव के रूप में चुना गया है . एक सादे एवं गरिमापूर्ण समारोह में, निवर्तमान अध्यक्ष डॉ . अरविंद रावल और निवर्तमान सचिव डॉ . दिव्यांशु गोयल ने नवनिर्वाचित टीम को संगठन का कार्यभार सौंपा और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं . इस बैठक के दौरान, संगठन के सदस्यों ने हाल ही में पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की . हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई . बैठक में संघ के संस्थापक सदस्य डॉ . डी . के . तनेजा सहित शहर के कई वरिष्ठ एवं अनुभवी अस्थि रोग विशेषज्ञ उपस्थित थे . इस अवसर पर, उपस्थित डॉक्टरों ने कुछ जटिल क्लिनिकल मामलों पर गहन चर्चा और विचार-विमर्श भी किया, जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान हुआ . कार्यक्रम के अंत में, नवनिर्वाचित सह-सचिव डॉ . अनुराग पनवेल ने आभार व्यक्त किया .

युगपुरूष स्वामी परमानंद की संन्यास जयंती आज

इंदौर . अयोध्या स्थित रामलला के भव्य मंदिर के

न्यासी युगपुरुष स्वामी परमानंद गिरि महाराज की संन्यास जयंती पर 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे खंडवा रोड स्थित अखंड परमधाम आश्रम पर देवालयों में अभिषेक-पूजन के पश्चात युगपुरुष स्वामी परमानंद के दीर्घायु होने की कामना की जाएगी . अखंड परमधाम सेवा समिति के अध्यक्ष किशनलाल पाहवा, सचिव राजेश रामबाबू अग्रवाल एवं संयोजक विजय शादीजा ने बताया कि इस अवसर पर न्यासी मंडल के सदस्यों द्वारा गुरूदेव के चित्र पूजन का कार्यक्रम भी होगा तदपश्चात महाप्रसादी के साथ समापन होगा .

विजयवर्गीय के जन्मदिन पर आज गोशाला पर गो पूजन

इंदौर . राज्य के नगरीय विकास मंत्री और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय का जन्मदिन अक्षय तृतीया, 30 अप्रैल को नंदानगर स्थित सांई मंदिर पर सुबह 10 बजे से पूरे जोश, उत्साह और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा . विजयवर्गीय अपने परिवार सहित जन्मदिन का मुख्य कार्यक्रम सांई मंदिर स्थित गोशाला पहुंचकर पूजा-अर्चना के साथ मनाएंगे . इस अवसर पर उनके स्नेहीजनों द्वारा उन्हें फलों एवं मिठाईयों से तोलकर उनके वजन के बराबर सामग्री शहर की प्रमुख गोशालाओं में 56 भोग के लिए भेजी जाएगी . गोमाता की आरती भी होगी . नंदानगर सांई मंदिर पर उनका जन्मदिन मनाने के लिए क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, गोसेवकों और स्नेहीजनों द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं . गोशाला को विशेष रूप से सजाया गया है . शहर के प्रमुख धर्मस्थलों के संत, विद्वान, आचार्य और महामंडलेश्वर भी इस अवसर पर उपस्थित होकर विजयवर्गीय को उनके यशस्वी और दीर्घायु जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे .

जीवन में विधि बिना कुछ नहीं होता : विशुद्ध सागर महाराज

सुमतिधाम पर 6 दिवसीय पट्टाचार्य महोत्सव का तीसरा दिन

इंदौर. इस जगत को चलाने वाली एक शक्ति है जो अदृश्य है उसे कोई पहचान ओर समझ नहीं पाया. जिसने जैसा पाया वैसा नाम दे दिया. विधि के माध्यम से सब संचालन हो रहा है इस बात को जिन शासन स्वीकारता है और जो यह सूत्र जानता है वह आनंदित है इसलिए इस विधि को ही समझना पड़ेगा. सभी का मिलना बिछडना विधि का विधान है. तो जो हो रहा है वह विधि है। जो होगा वह विधि है और जो हो चुका है वह भी विधि का विधान ही है. जब तक विधि का विधान नहीं समझोगे घरों में कलह भाइयों में झगड़ा और देश में अशांति खत्म नहीं होगी.

उक्त विचार आध्यात्म योगी शताब्दी देशनाकार आचार्यश्री विशुद्ध सागर महाराज ने गांधी नगर गोधा एस्टेट स्थित सुमतिधाम में आयोजित 6 दिवसीय पट्टाचार्य महोत्सव के तीसरे दिन देशना मंडप में प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए व्यक्त किए. उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से कहा कि जैसे फ्रिज में सब्जी फल रखने से ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं इस तरह मस्तिष्क को विधि के शीत ग्रह में रखना होगा तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा सड़ेगा नहीं. मंगलवार को पट्टाचार्य महोत्सव के तीसरे दिन नागपुर, हैदराबाद, सागर, भोपाल व देश विदेश के गुरु भक्तों ने 12 आचार्यो को उपकरण के रूप में नवीन पिच्छी व कमंडल भेंट किए वहीं पुरानी पिच्छी कमंडल के लिए उपस्थित धर्मावलंबियों में होड़ मच गई। सभी धर्मालुओं ने आचार्यश्री व उनके संसघ को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया. श्री सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय गोधा एस्टेट, पट्टाचार्य महोत्सव समिति, गुरू भक्त परिवार एवं मनीष-सपना गोधा ने बताया कि मंगलवार को सुमतिधाम के देशना मंडप में उपस्थित 11 आचार्य, 8 उपाध्याय, 140 मुनिराज का पाद-पक्षालन किया गया. दोपहर में भट्टारक सम्मेलन हुआ. कर्नाटक प्रांत से भट्टारक स्वामी पधारे, उनका बहुमान सपना-मनीष एवं गोधा परिवार द्वारा किया गया।

पट्टाचार्य पद के माता-पिता बनने का सौभाग्य सपना-मनीष गोधा परिवार को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ रात्रि में आरती, लेजर शो व ड्रोन शो के साथ ही सम्राट खारवेल नाटिका मंचन कलाकारों द्वारा किया जाएगा.

पट्टाचार्य पद संस्कार महोत्सव आज, ड्रोन शो भी

गुरू भक्त परिवार ने बताया कि 6 दिवसीय पट्टाचार्य महोत्सव का मुख्य उत्सव बुधवार 30 अप्रैल को आयोजित होगा।. अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आचार्यश्री विशुद्ध सागर महाराज का पट्टाचार्य महोत्सव गणाचार्य विराग सागर जी की आज्ञा से पट्टाचार्य की उपाधि लेंगे . विधानाचार्य धर्मचन्द्र शास्त्री, चन्द्रकांत ईडी, नीतिन झांझरी के निर्देशन में सुबह 5 .15 बजे स्तुति, देव स्तवन, आचार्य वंदना, स्वाध्याय के पश्चात सुबह 6 बजे अभिषेक व शांतिधारा की विधियां संपन्न होगी . प्रातद्व 7 बजे से पट्टाचार्य पद प्रतिष्ठा संस्कार समारोह आयोजित होगा। जिसमें सभी 36 संस्कार विधि-विधान से किए जाएंगे।

दुष्प्रवृत्तियों का संगठित होकर मुकाबला करें : साध्वी कृष्णानंद

गीता भवन में भागवत ज्ञान यज्ञ

इंदौर. कंस व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति है, जो आदिकाल से चली आ रही है. दुष्टों और असुरों की कोई अलग शक्ल नहीं होती, लेकिन उनकी प्रवृत्तियां मानवता के विरुद्ध होती है. ऐसे लोगों को परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकते. वर्तमान दौर में हमें सनातन धर्म की मजबूती के लिए एकजुट होकर समाज की दुष्ट प्रवृत्तियों का मुकाबला वैसे ही करना होगा, जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने किया. हमारे धर्मग्रंथ हमें वह विवेक देते हैं, जिससे हम अपने कर्मों को सुधारकर एक ऐसे परिवार और समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सत्य की प्राण प्रतिष्ठा हो और

जहां हम धर्म और संस्कृति के मार्ग पर चलते हुए अनीतियों का संगठित होकर मुकाबला कर सकें।

ये दिव्य विचार हैं वृंदावन-हरिद्वार की साध्वी कृष्णानंद के, जो उन्होंने मनोरमागंज स्थित गीता भवन सत्संग सभागृह में मंगलवार को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज के सानिध्य में चल रहे भागवत ज्ञान यज्ञ में कृष्ण-सुदामा मिलन एवं भागवत के समापन प्रसंग के दौरान व्यक्त किए. प्रारंभ में व्यासपीठ का पूजन समाजसेवी प्रेमचंद गोयल, ललित अग्रवाल श्याम अग्रवाल मोमबत्ती, किशोर गोयल के साथ कमलेश, गौरव, अर्पित शिवहरे एवं प्रमोद बिंदल आदि ने किया. कथा समापन पर सैकड़ों भक्तों ने भगवान के साथ फूलों की होली खेली. आयोजन समिति की ओर से समाजसेवी प्रेमचंद गोयल, श्याम अग्रवाल, शिव जिंदल, संजय मंगल एवं गीता भवन ट्रस्ट के मंत्री रामविलास राठी ने महांमडलेश्वर स्वामी भास्करानंद एवं साध्वी कृष्णानंद का सम्मान किया.

शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित

इंदौर. योग मित्र अभियान के तत्वावधान में और ओ.पी. जयसवाल सर के निर्देशन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमरदीप मौर्य, योग मित्र अभियान के संयोजक राकेश चौधरी और योगमित्र दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे. सभा में आतंकी हमले की निंदा की गई और शहीद हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. 100 से अधिक युवा साधकों ने कैंडल जलाकर और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. यह शोक सभा शहीदों के प्रति सम्मान और संवेदना प्रकट करने का अवसर था.

स्कूली छात्रों ने संभाली यातायात व्यवस्था, नियमों के पालन की दी सीख

छात्रों ने किया वाहन चालकों से संवाद, जागरूकता तख्तियों के साथ किया मार्गदर्शन

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को रेडिसन चौराहा पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला. यहाँ कैटालाइजर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने खुद सड़क पर उतरकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया.

सहायक पुलिस आयुक्त मनोज कुमार खत्री के नेतृत्व और यातायात निरीक्षक श्रीमती रेखा सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने हाथों में जागरूकता से जुड़ी तख्तियां लेकर वाहन चालकों को हेलमेट, सीट

बेल्ट, गति सीमा, रेड लाइट का पालन, शराब पीकर वाहन न चलाने और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के प्रयोग जैसे नियमों के महत्व की जानकारी दी. जो वाहन चालक नियमों का स्वेच्छा से पालन करते पाए गए, उनकी सार्वजनिक रूप से सराहना की गई, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली. इस सकारात्मक पहल को राहगीरों और वाहन चालकों ने काफी सराहा और कई नागरिकों ने आगे से नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया. यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह वृहद अभियान, पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है.

परशुराम महासभा की रेणुका दिव्य ज्योति यात्रा आज सुबह जानापाव से प्रारंभ होगी

इंदौर. भगवान श्री परशुरामजी के प्रकटोत्सव एवं परशुराम जयंती महोत्सव पर परशुराम महासभा म.प्र. के तत्वावधान में तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को चाणक्यपुरी चौराहा स्थित हनुमान मंदिर से राजेन्द्र नगर परशुराम चौक तक विशाल शोभायात्रा के साथ हुआ. महापौर पं. पुष्यमित्र भार्गव, पं. योगेन्द्र महंत, पूर्व विधायक अश्विन जोशी एवं पार्षद अभिषेक शर्मा बबल सहित अनेक विप्र संगठनों के प्रतिनिधि

और पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. महोत्सव में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे जानापाव से मां रेणुका की दिव्य ज्योति यात्रा प्रारंभ होगी, जो परशुराम चौक राजेन्द्र नगर पर महाआरती के साथ शाम को संपन्न होगी. श्री परशुराम महासभा मध्यप्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष पं. गोविंद शर्मा एवं प्रदेश प्रभारी पं. संजय मिश्रा ने बताया कि चाणक्यपुरी स्थित हनुमान मंदिर प्रारंभ हुई इस शोभायात्रा में विप्र संगठनों के अलावा मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में हाथों में प्रतीकात्मक फरसे लेकर शामिल हुई. मार्ग में जगह-जगह शोभायात्रा का विभिन्न समाजों की ओर से स्वागत भी किया गया. महाआरती में महापौर पुष्यमित्र भार्गव सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व विधायक अश्विन जोशी, कन्नू मिश्रा, लालजी तिवारी, विकास अवस्थी एवं सत्येन्द्र शर्मा सहित विभिन्न संगठनों के बंधु परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुए. मातृशक्ति की ओर से पूनम मिश्रा, दीपिका शर्मा, मोनिका दुबे के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मंगलवार को महोत्सव की श्रृंखला में शाम को राजेन्द्र नगर स्थित परशुराम चौक पर भगवान परशुरामजी की संगीतमय महाआरती का दिव्य आयोजन भी सौल्लास संपन्न हुआ। यहां एकत्र हुए सभी प्रमुख विप्रजन अपने-अपने वाहनों से जानापाव के लिए प्रस्थित हुए,

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं . नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं . चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है . आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	23094276	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	16.4.2025	रु . 7,23,778 .40

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1 . अनुराग मंडलोई 2 . संगीता अनुराग

संपत्ति का पता- घर/प्लॉट/सर्वे नंबर 495/1 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट, वार्ड नंबर पर स्थित है 7, आदिवासी क्षेत्र, बदनावर, जिला- धार, मध्य प्रदेश -454660, तथा सीमा- पूर्व- सड़क, पश्चिम- कोकसिंह की भूमि, वर्तमान मुकेश माथुर, उत्तर- अभिषेक पुत्र पन्नालाल सोनी का मकान . दक्षिण- सड़क .

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	67505602	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	16.04.2025	रु . 4,06,757 .12/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1 . जितेन्द्र सोलंकी 2 . सीमा जितेन्द्र

संपत्ति का पता- संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्रफल 50×40 = 2000 वर्ग फीट, आबादी खसरा संख्या 95, पीएच न . 129, गांव- मुंडाना, ग्राम पंचायत- अचना, तहसील और जिला- धार, मध्य प्रदेश-454774,स्थित है और सीमा- पूर्व- जितेन्द्र मूलचंद चौधरी का घर, पश्चिम- दुले सिंह मूलचंद का घर, उत्तर- मुख्य सड़क, दक्षिण- मुख्य सड़क .

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	33413108	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	16.04.2025	रु . 3,16,898 .48/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1 . करणसिंह राठौर 2 . कमल सिंह

संपत्ति का पता- प्लॉट पर बना एक घर का वह पूरा टुकड़ा जिसका नंबर 47/1 है, सर्वे नंबर 47 में, कुल क्षेत्रफल 3375 वर्ग फीट, गांव- सिनोद, तहसील और जिला- रतलाम, मध्य प्रदेश-457441 में स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- प्रहलाद सिंह का घर, उत्तर में- मोहन सिंह का घर, दक्षिण में- भेरू सिंह का घर .

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है .

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक : 30 .4 .2025
स्थान : मध्यप्रदेश

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कार्पोरेट आफिस : 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लाक, इन्सीप्ते बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि . आफिस : कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर-बी, प्रथम तल नं . 111, माउंट पूनमल्ली पूउर चेन्नई-600116, तमिलनाडु

अचल संपत्ति के लिए कब्ज़ा नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी है, जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है [राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली)] (इसके बाद इसे 'एसएमएचएफसी' के रूप में जाना जाता है) वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54), और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिमांड नोटिस जारी किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांक में आपसे उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। राशि चुकाने में विफल रहने पर, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्न के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्ज़ा ले लिया है, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 उपधारा (4) के तहत। विशेष रूप से यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और इसके साथ कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए 'एसएमएचएफसी' के शुल्क के अधीन होगी।

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर(ओं) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	कब्जे की तिथि
1	लैन नंबर :- 601639211444580 1 . विद्याकांत तिवारी 2 . सुषमा तिवारी 3 . रमाकांत तिवारी	श्री विद्या पैलेस, ग्राम छोटा बांगरदा, तहसील एवं जिला इंदौर, म.प्र. 452001 , 470 वर्ग फीट (43.68 वर्ग मीटर) में प्लॉट संख्या सी-21 के उत्तरी भाग के मध्य भाग का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जो पूर्व - प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम - प्लॉट का शेष भाग, उत्तर - सड़क, दक्षिण - प्लॉट का शेष भाग से घिरा हुआ है .	18-1-2025 रु . 29,71,176/- (रु . उन्तीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ छिहत्तर मात्र) 9-1-2025 को	26-4-2025

स्थान- इन्दौर, मध्यप्रदेश
दिनांक- 26-4-2025

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

JANA SMALL FINANCE BANK

(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं . 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071,

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक को प्रभारित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है . जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति को जब्त करने के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामी आयोजित की थी, लेकिन वे असफल रहीं क्योंकि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई इसलिए कृपया सूचित किया जाए कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी नीचे बताए अनुसार संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेंगे . आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति बैंक के बकाया की वसूली के लिए बैंक द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है .

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री 'जहां है, जैसा है' और 'जो है, जैसा है, जैसा है' के आधार पर होगी .
2. खरीदार को इस नोटिस के प्रकाशन की समाप्ति पर बिक्री मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करना होगा .
3. बैंक द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, निर्धारित समय के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी .
4. खरीदार को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए . खरीदार बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा .
5. बैंक बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है .
6. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी बकाया राशि का भुगतान करना होगा .